भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4227

(29 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का निष्पादन

4227. डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (आईजीएनडब्ल्यूपी) योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है;
(ख) क्या सरकार ने आईजीएनडब्ल्यूपी योजना की स्थापना के बाद से इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो मूल्यांकन के परिणाम का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आईजीएनडब्ल्यूपी योजना के अंतर्गत कम संख्या में लाभार्थियों ने सहायता प्राप्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या सरकार को वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं में संशोधन के संबंध में महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं को संशोधित करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (आईजीएनपीडब्ल्यूपी) स्कीम का शुभारंभ करने का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की 40-79 वर्ष आयु की प्रत्येक विधवा को प्रति माह 300 रु. की दर से और इसी श्रेणी की 80 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवाओं को 500 रु. प्रति माह की बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। स्कीम के निष्पादन की समीक्षा आवधिक निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों के माध्यम से और साझा समीक्षा मिशन (सीआरएम) , राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनएलएमएस.) तथा क्षेत्र अधिकारी दौरों के माध्यम से की जाती है।

(ग) और (घ): आईजीएनपीडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां लाभार्थियों की संख्या के संबंध में राज्य की अधिकतम सीमा अथवा एनएसएपी पोर्टल पर डिजिटलीकृत लाभार्थियों की संख्या , इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर जारी की जाती हैं। लाभार्थियों के अभिलेखों को डिजिटलीकृत करने का काम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान आईजीएनपीडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत कवरेज बढ़ा है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**लाभार्थियों की संख्या**
1.	2018-19	5812556
2.	2019-20	5935489
3.	2020-21	6088717

(ङ) और (च): वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन स्कीमों को संशोधित करने के लिए उक्त राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि , सरकार ने राज्यों को राज्य की समग्र सीमा के भीतर विभिन्न पेंशन स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में समायोजित करने की अनुमति दी है।

****